कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, भवाली (नैनीताल)

UTTARAKHAND

eepwdbhowali@rediffmail.com

पत्रांक 630 /8सी0 दिनांक 16/5/2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग नैनीताल।
नैनीताल।

विषय–: जनपद नैनीताल मे बगडवार बैण्ड से दूनी विरसिंग्या मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.75 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु वन प्रभाग नैनीताल को प्रात्यावर्तन।

सन्दर्भ–: आपका पत्रांक संख्या 6863/12–1 दिनांक 05/05/2025.

महोदय,

उपरोक्त विषयक् संन्दर्भित पत्र के कम में आपके द्वारा चाही गयी सूचना संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रकरण पर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक.– 1– जिलाधिकारी महोदय के आदेश की प्रति।
2– नजरिये नक्शे की प्रति।
3.– स्थलीय निरीक्षण आख्या।

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0
भवाली (नैनीताल)

O/C

पत्रांक 630 /8सी0 दिनांक 16/05/2025

प्रतिलिपि – सहायक अभियन्ता (प्रथम) अ0ख0, लो0नि0वि0 भवाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

O/C

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0
भवाली (नैनीताल)

Scanned with CamScanner

-: आदेश :-

अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल के पत्र संख्या 883/8सी, दिनाँक 08-05-2024 के द्वारा जनपद-नैनीताल में बगडवार बैण्ड से दूरी विरसिंग्या मोटर मार्ग के प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि का वन विभाग, नैनीताल के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण किए जाने की अपेक्षा की गई है।

उक्त के क्रम में उप जिलाधिकारी, धारी (नैनीताल) ने अपने पत्र संख्या 108/र.का./2024, दिनाँक 29-06-2024 से अवगत कराया गया है कि उक्त वन भूमि प्रस्ताव में अंकित खसरा नम्बर में पूर्व में प्रेषित प्रस्ताव से भिन्न अंकित गए हैं। पूर्व में प्रेषित प्रस्ताव के अनुसार, चयनित खसरा नम्बर ग्राम-बवियाड़ के नॉन ज्येड.ए. की श्रेणी-9(3)ख(2) के खतौनी संख्या 47 के खेत नम्बर 2896, रकबा 3.465 है. भूमि एवम् श्रेणी-9(3)(ड) खाता खतौनी संख्या 48 के खेत नम्बर 2801, रकबा 0.778 है. एवम् खेत नम्बर 2802, रकबा 3.506 है. भूमि इस प्रकार उपरोक्त खसरा नम्बरों मध्ये प्रस्तावित भूमि कुल 7.560 है. को वन विभाग, नैनीताल के नाम हस्तान्तरण किए जाने हेतु प्रस्ताव तैयार किया गया है। उक्त मोटर मार्ग का पूर्व में प्रस्तुत प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवम् जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर-केन्द्रीय क्षेत्र), देहरादून के पत्र संख्या 08डी./यू.सी.पी./06/85/2016/एफ.सी., दिनाँक 19-07-2016 के द्वारा 3.780 है. भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किए जाने की सशर्त सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रस्ताव की छायाप्रति संलग्न है। अतः ग्राम-बवियाड़ के नॉन ज्येड.ए. की श्रेणी-9(3)ख(2) के खतौनी संख्या 47 के खेत नम्बर 2896, रकबा 3.465 है. भूमि एवम् श्रेणी-9(3)(ड) खाता खतौनी संख्या 48 के खेत नम्बर 2801, रकबा 0.778 है. एवम् खेत नम्बर 2802, रकबा 3.506 है., कुल 4.284 है. भूमि इस प्रकार कुल 7.560 है. भूमि को वन विभाग, नैनीताल के नाम हस्तान्तरण किए जाने हेतु आख्या मय पूर्व प्रस्ताव के खतौनी, खसरा व नक्शे के प्रेषित की गई है।

उप जिलाधिकारी, धारी (नैनीताल) के पत्र संख्या 108/र.का./2024, दिनाँक 29-06-2024 के साथ प्रस्तावित भूमि की दिनाँक 13-06-2015 को किए गए संयुक्त निरीक्षण आख्या भी संलग्न की गई है जिसमें उल्लिखित किया गया है कि चयनित भूमि में छुट-पुट पेड़ व झाड़ियाँ हैं, जो वन के रूप में नहीं है। चयन स्थल वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पाया गया तथा चयनित स्थल में वर्तमान में कोई अवैध अतिक्रमण नहीं है।

वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 111/XXVII/II/2012-18(120), दिनाँक 09-07-2012, शासनादेश संख्या 2173/XXVII(7)50(39)-2015, दिनाँक 17-12-2012 एवम् राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या 1887/XVIII(II)/2015, दिनाँक 30-07-2015 तथा उप जिलाधिकारी सदर, नैनीताल की उपरोक्त आख्यानुसार जनपद-नैनीताल में बगडवार बैण्ड से दूरी विरसिंग्या मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ग्राम-बवियाड़ के नॉन ज्येड.ए. की श्रेणी-9(3)ख(2) के खतौनी संख्या 47 के खेत नम्बर 2896, रकबा 3.465 है. भूमि एवम् श्रेणी-9(3)(ड) खाता खतौनी संख्या 48 के खेत नम्बर 2801, रकबा 0.778 है. एवम् खेत नम्बर 2802, रकबा 3.506 है., कुल 4.284 है. भूमि इस प्रकार कुल 7.560 है. भूमि को वन विभाग, नैनीताल के प्रशासनिक नियंत्रण में निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन हस्तान्तरित/नामान्तरित की जाती है। उप जिलाधिकारी धारी/तहसीलदार धारी तद्नुसार ही राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद करने उपरान्त खतौनी नकल की प्रति याचक विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे :-

1. भूमि पर कोई धार्मिक महत्त्व की इमारत न हो।
2. जिस परियोजना के लिये भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिये शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी हो।
3. हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाय तो उसके लिये मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

क्रमशः.......2/

Scanned with CamScanner

4. यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 03 वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिये उपयोग में नहीं लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जाएगी।
5. जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना भूमि हस्तान्तरित नहीं की जाएगी।
6. जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।
7. प्रश्नगत भूमि वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जाएगी।
8. यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा संस्था का विघटन हो जाता है तो भूमि अथवा भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जाएगी।
9. प्रश्नगत भूमि आवंटन के पूर्व उत्तराखण्ड/उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवम् भू-व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा-132 एवम् अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन उप जिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
10. इस सम्बन्ध में सिविल अपील संख्याः 1132/2011 (एस.एल.पी.)/(सी.) संख्या 3109/2011 श्री जगपाल सिंह एवम् अन्य बनाम पंजाब राज्यादि में मा. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश तथा अन्य शर्त/निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
11. आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तों के बिन्दु संख्याः 01 से 10 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जाएगी जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

दिनाँकः 11-07-2024

ह./
जिलाधिकारी
नैनीताल।

कार्यालय जिलाधिकारी, नैनीताल।

पत्र संख्या : 05 /12-ज्येड.ए.सी./2023-2024, दिनाँकः 12 जुलाई, 2024

<u>प्रतिलिपि</u> निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल। भवाली
2. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल।
3. उप जिलाधिकारी, धारी/तहसीलदार, धारी (नैनीताल)।

(फिंचा राम चौहान),
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवम् राजस्व),
नैनीताल।

Scanned with CamScanner

संयुक्त निरीक्षण आख्या

आज दिनांक 15/05/2025 को कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल, वन प्रभाग नैनीताल के पत्रांक 6863/12-1 दिनांक 05/05/2025 विषय जनपद नैनीताल में बगड़वार बैण्ड से दूनी बिरसिंगिया मोटरमार्ग निर्माण हेतु 3.78 हे० वनभूमि का गैर-वानिकी कार्यों हेतु लो. नि. वि. से प्रत्यावर्तन के संबंध मे प्रस्तावित क्षतिपूरक वनीकरण स्थल का संयुक्त निरीक्षण लो. नि. वि. भवाली से उपस्थित श्री निकेश चौहान पदनाम खण्डीय अमीन एवं श्रीमती नेहा सिंह कनिष्ठ अभियन्ता एवं वन विभाग से उपस्थित श्री राकेश सिंह चौहान, वन आरक्षी एवं श्री पुष्कर शर्मा बीट वॉचर व राजस्व विभाग से उपस्थित सुश्री सोनम राजस्व उप निरीक्षक बबियाड़ द्वारा किया गया जिसमें ग्राम बबियाड़ के नॉन. ज्येड. ए. खतौनी की श्रेणी 9(3)(ख)(2) के खतौनी सं० 47 के खेत नं० 2896 रकबा 3.465 हे० एवं श्रेणी 9(3)(ङ) के खाता खतौनी सं० 48 के खेत नं० 2801 रकबा 0.778 हे० एवं खेत नं० 2802 रकबा 3.560 हे० इस प्रकार उपरोक्त खसरा नं० मध्ये प्रस्तावित कुल भूमि 7.560 हे० का सीमांकन किया गया, अतः वन विभाग बढ़ौन के साथ प्रस्तावित क्षतिपूरक वनीकरण स्थल का संयुक्त निरीक्षण का रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है।

मौके पर उक्त भूमि सीमांकन कर वन विभाग को उपलब्ध करा दी गयी है।

[signature] 15/05/2025
(श्री निकेश चौहान)
खण्डीय अमीन
लो० नि० वि० भवाली

[stamp/signature] 15/05/2025
(सुश्री सोनम)
राजस्व उपनिरीक्षक
बबियाड़
तहसील - धारी
जिला - नैनीताल

Rakesh 15/5/2025
(राकेश सिंह चौहान)
वन आरक्षी मलुवाताल
बढ़ौन वन क्षेत्र

Singh 15/5/2025
(नेहा सिंह)
कनिष्ठ अभियन्ता
लो. नि. वि. भवाली

पुष्कर शर्मा
(पुष्कर शर्मा)
बीट वॉचर मलुवाताल

Scanned with CamScanner

नजरी मौका नक्सा

ग्राम - बवियाड पट्टी- बवियाड त०- धारी जिला- नैनीताल

जनपद नैनीताल में बगडवार बैण्ड से बूनी विरसिंग्या मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.78 है० वन भूमि को गैर वानिकी कार्यो हेतु लो० नि० वि० से प्रत्यावर्तन

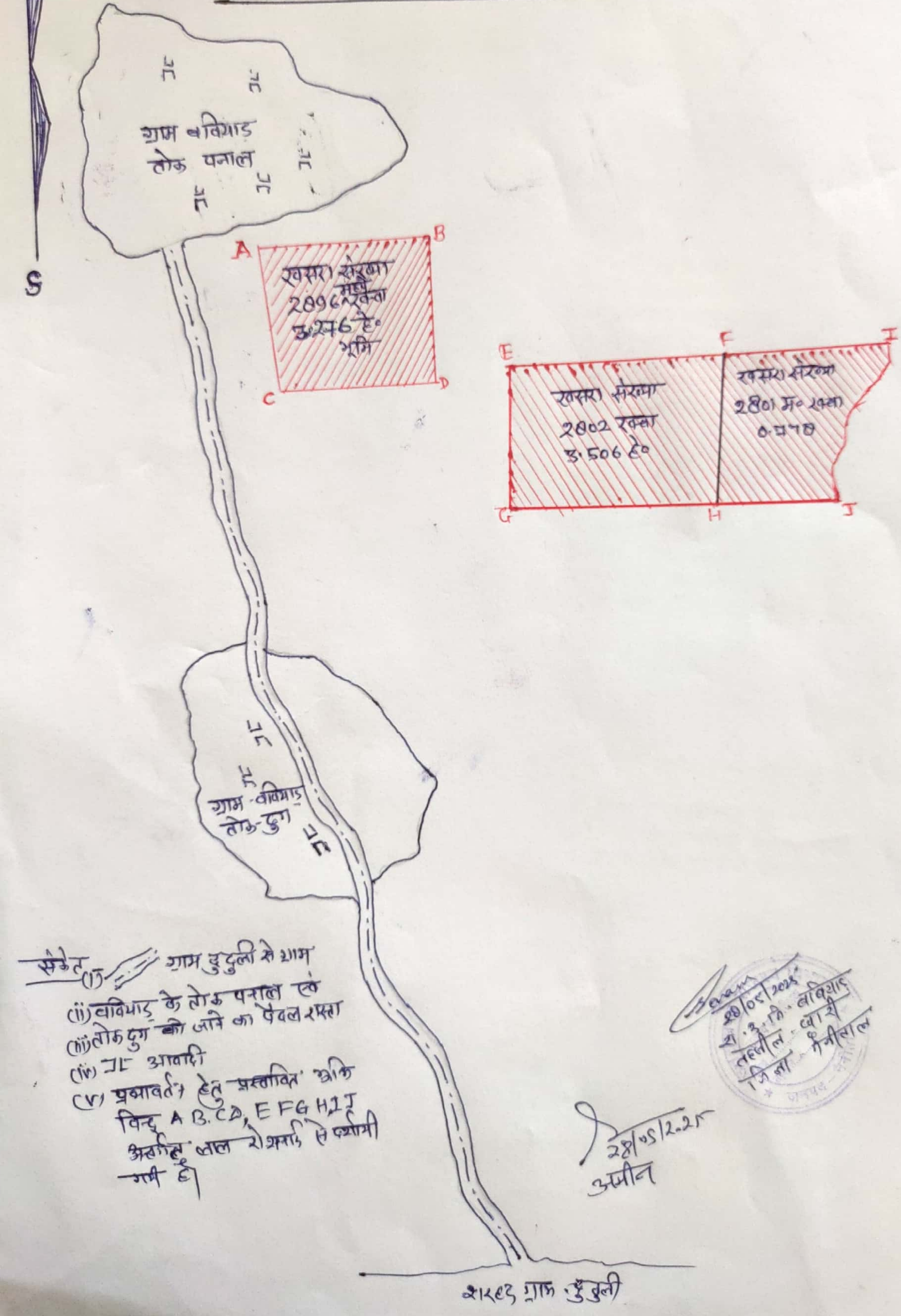

28/05/2025
अमीन

28/05/2025
ग्रा० उ० नि० बवियाड
तहसील धारी
जिला नैनीताल